

फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव


आम जनता राजस्व ग्राम मण्डालिया.. बनाम श्री देखां सो सुलेमान भागि कुमावत
जरिये नि: मण्डालियां तहसील- शिव
वर्ग: 5

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अधि. मुकदमा नम्बर 80 / 2021
(ने वंमवर्डी)

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व दिनांक अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18-03-2021	प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री <u>श्री जैराम कुमावत</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम / भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29.04.2021 को पेश हो।	
29.04.2021	पत्रावली पेश हुई। डीप्टन जीमलीन अधिकारी के कोविड-19 संक्रमण के कारण में व्यस्त होने के कारण इल्टवा होकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 23.06.2021 को पेश हो।	
23.06.2021	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अशिववता उपस्थित। पत्रावली वास्ते विप्रार्थी गण के तामिलसुदा नोटिस का इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 25.06.2021 को पेश हो।	
25.06.2021	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अशिववता उपस्थित। प्रार्थी अशिववता द्वारा विप्रार्थी गण के तामिलसुदा नोटिस व डिलेवरी रिपोर्ट पेश की, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते विप्रार्थी गण का इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 28.06.2021 को पेश हो।	


उपखण्ड अधिकारी
शिव


उपखण्ड अधिकारी
शिव


उपखण्ड अधिकारी
शिव


उपखण्ड अधिकारी
शिव




तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

20
अहमद
हुक्म को
में जारी
हुक
वामे

20.12.24

पत्रावली पेश। वाकुलम अनुपस्थित।
पत्रावली बाते धारा 151 CPC के प्रावधान
पत्र के जवाब हेतु प्रवला दिना
जाका दिनांक 12.02.25 को पेश हो


उपखण्ड अधिकारी
शिव

12.02.25

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी
के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इलवा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा
दिनांक 28.5.25 को पेश हो।

28.5.25

श्रीमान पीठासीन अधिकारी के
मुख्यालय से बाहर होने से इलवा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 12.6.25 को पेश हो।

12.06.25

पत्रावली पेश। वाकुलम अनुपस्थित।
पत्रावली में प्रभावी होती हेतु प्रसकार
वाकुलम को न्यायालय सभ में रुक-रुककर
आवाजे ही जाने के बावजूद कोई उपस्थित
नहीं। अतः पत्रावली में प्रभावी होती नहीं
होने तथा अनुपस्थित रहने पर उक्त
पत्रावली दली स्तर पर अदालत में क
अदालत राजी में खारिज की जाती है।
पत्रावली वाफिल इफ्तार हो।


उपखण्ड अधिकारी
शिव